1	2	3
	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्प और तारी सहित

10.05.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तर अपील वाद सं0–08/2013–14
फेकन मंडल
बनाम
जागेश्वर मंडल वगै0
आदेश

यह नामन्तण अपील वाद आवेदन आवेदक श्री फेकन मंडल, पे0–महाविर मंडल, सा0–रायबजार, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तण अपील वाद संख्या 85/94–95 में दिनांक 08.07.1994 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 07.10.2013 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस नामन्तरण अपील वाद प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	खाता सं0	खंसरा संख्या	ज0न0	रकवा
रायबाजार	11	71	11/16	00–03–08

अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से सूचीबद्ध कागजात दाखिल की गई। अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भुमि मौजा रायबाजार, खाता संख्या 11 खेसरा सं0– 71 ज0न0 11/16 रकवा 00–03–08 धूर के अन्तर्गत रकवा 00–01–10 धूर जमीन के संबंध उत्तरवादी के ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा रायबाजार खाता संख्या 11 खेसरा संख्या 71 ज0न0 11/116 रकवा 00–03–08 धूर जमीन जिसकी जमाबंदी रैयत अपीलार्थी की दादी बुद्विया मंडलाईन है। उत्तरवादीगण यथा जागेश्वर मंडल एवं सर्वेश्वर मंडल दोनो पिता–स्व0 बलदेव मंडल के द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को अपने प्रभाव में लेकर मौजा रायबाजार ,ाता संख्या–11, खेसरा संख्या 71 रकवा 00–01–10 धूर (कुल रकवा 00–03–08 धूर अन्तर्गत) का दाखिल खरीज करवाया गया है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि संबंधित नामान्तर वाद में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा विधिवत ढंग से स्थल जाँच नही किया गया है, ना ही उक्त मौजा के 16 आना रैयतों को ही नोटिस प्राप्त कराया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि संबंधित जमीन पर अपीलार्थी का शांतिपूर्ण भोख दखल है, जो नामान्तरण का मुख्य Criteria है। फलस्वरुप अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा किया गया नामान्तरण पूर्णतः गलत है।

अतं में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तरण अपील वाद संख्या 85/94–95 दिनांक 08.07.1994 में पारित आदेश को अप्रास्त (Set–a-side) करने का अनुरोध किया है।

आज उत्तरवादी उपस्थित। उत्तरवादी के ओर से सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 03.09.2016 को लिखित बहस दाखिल किया गया है। उन्होने अपने लिखित ब्यान के माध्यम से सूचित किया है कि प्रश्नगत भूमि का नामन्तरण उत्तरवादी के नाम कनुनी तौर तरीके व न्योयोचित प्रक्रिया के तहत् हुई है। मौजा रायबाजार ज0न0 11 प्लॉट न0 71 रकवा 00–01–10 धूर जमीन विक्रेता

Scanned with CamScanner

महावीर मंडल पे0–स्व0 गिरधारी मंडल , सा0– रायबाजार, थाना– राजमहल जि
से निबंधित केवाला संख्या 5994/88 द्वारा क्रय किया गया है, उक्त निंबधित केवा
पर ही अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा विधिवत ढंग से दाखिल–खारीज किया है।

अतः उत्तरवादी की प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तरण
संख्या–85/94–95 में दिनांक 08.07.1994 के पारित ओदश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी
के द्वारा दायर नामान्तरण अपील आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किये है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष विधि संबंधित कोई भी संतोषजनक प्रश्न उठाने में असक्षम रहे हैं। अपीलार्थी के द्वारा गलत ढंग से बनवाये गये डीड पर अपने तर्क प्रस्तुत किये है, परन्तु यह न्यायालय डीड की सत्यता पर प्रश्न करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तरण वाद संख्या 85/94–95 दिनांक 08.07.1994 में पारित आदेश को कायम रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner